27/7/20 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 19/9/20 को पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर

19.8.20 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय व सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार अवैध प्रतिष्ठानों का शीघ्र निवारण किया जाता है अतः पत्रावली आज तालाब की भूमि ग्राम के संबंधित भू-माफिया अन्तर्गत धारा 155/57 का निवारण हेतु लगाई जिसमें ग्रामों की नवीन रकबा ग्राम पंचायत के आधार पारित किये गये है अतः इस प्रकरण में आगे कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली का निवारण किया जाता है। पत्रावली चस्पा शुमारी के बाद नस्ती [illegible] दाखल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:27:02 IST
Reason: SelfAttested